FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

दीपाराम बनाम माईदानराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० का० 251(A) RTAct नं. 59/20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/03/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री पूनमाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 251 (A) RTAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 15/04/2020 को पेश हो। [signature] 17/3/2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
15/04/2020	पत्रावली आज पेश हुई कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/06/2020 को पेश हो। पुनः विप्रार्थी संख्या-1 से 9 की एडी पुनः प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली नियत दिनांक को पेश हो। [initials]	
22/06/2020	पत्रावली आज पेश हुई प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगण संख्या-1 से 4 व 9 की ओर से वकील श्री जुगतसिंह चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पीठासीन पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से इल्तवा होकर आगामी दिनांक 21/[illegible] को [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:26:56 IST
Reason: SelfAttested

खुलासा हुक्म

08/09/20

21/07/2020 प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-1 से 4 व 9 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-1 से 4 व 9 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी वकील को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बायतु से पालना रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-5 से 8 बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थी संख्या-5 से 8 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी संख्या-5 से 8 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 05/08/20 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

05/08/20 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विप्रार्थी वकील बहस आईन्दा करना चाहते है। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 25/08/2020 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

25/08/20 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी [illegible] स्थगित हलका देकर दि. 08/09/20 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:26:56 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/09/20	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ता मौका रिपोर्ट पर बहस फाईनल करना चाहते हैं अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 22/09/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
22/09/20	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। मौका रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के अधिवक्ता बहस फाईनल करना चाहते हैं अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13/10/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
13/10/20	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। मौका रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के अधिवक्ता बहस फाईनल करना चाहते हैं। एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 20/10/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
20/10/2020	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। मौका रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के अधिवक्ता बहस फाईनल करना चाहते हैं। पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये। अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27/10/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
27/10/2020	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की मूल आवेदन व तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन प्रार्थी की का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश अलग	

लिखा गया व शामिल पत्रावली [illegible] पत्रावली मुकम्मल होकर दर्ज नम्बर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:26:56 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुक्म की तामील
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु, जिला—बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 59 / 2020 **दिनांक :— 27.10.2020**

प्रार्थी

1. दीपाराम पुत्र गोमाराम
जाति जाट निवासी लापला,
तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. आईदानराम पुत्र फुसाराम
2. टीकमसिंह पुत्र फुसाराम
3. रामाराम पुत्र फुसाराम
4. गोमदाराम पुत्र चैनाराम
5. केशराराम पुत्र बांकाराम
6. नारणाराम पुत्र बांकाराम
7. फुआराम पुत्र बांकाराम
8. सोनाराम पुत्र बांकाराम
9. चेतनराम पुत्र गोमाराम
जाति जाट निवासी लापला,
तहसील बायतु जिला बाड़मेर
10. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक
शाखा बायतु भोपजी
11. शाखा प्रबंधक एसबीआई कवास
जिला बाड़मेर
12. तहसीलदार बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 —क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :— 1. श्री पूनमाराम अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री चुतरसिंह चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व 9

आदेश

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 736 / 495 रकबा 10.0640 हैक्टेयर ग्राम लापला पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु से सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 735 / 493, 734 / 493, 492 रकबा क्रमशः 7.2244, 7.2325, 15.0150 हैक्टेयर में से होकर आवेदन के संलग्न परिशिष्ट "अ" में मार्क A से B तक रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:26:56 IST
Reason: SelfAttested

स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व 9 की ओर से वकील श्री चुतरसिंह चौधरी द्वारा वकालातनामा व जवाब पेश किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 5 से 8 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार बायतु को लिखा गया। मौका रिपोर्ट तहसीलदार बायतु द्वारा तैयार की गई। तहसीलदार बायतु ने मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 736/495 में से होकर सड़क तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 735/493, 734/493 में से रास्ता चाहा गया है, से रास्ता निकाला जाना उचित है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग वर्तमान में नहीं चल रहा है। सड़क से कम दूरी व मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शें में बरंग पीला से रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा प्रस्तावित रास्ते का रकबा खसरा नम्बर 735/493 में से 00.06 बीघा व खसरा नम्बर 734/493 में से 00.06 बीघा है। जिसमें कोई भी निर्माण नहीं है।

तहसील कार्यालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपने आवेदन के तथ्य दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 735/493, 734/493 से मौका रिपोर्ट में बताये रास्ते अनुसार ही मुख्य मार्ग तक पहुंचने हेतु आता जाता रहा है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी व वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अंत में निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट अनुसार 00.12 बीघा का रास्ता कायम किया जाये। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को रास्ते हेतु नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने हेतु सहमत है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना, उनके कथनो पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान् के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:26:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के अनुसार जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है वह रास्ता मौके पर कदीम से विधमान है। प्रार्थी को इस रास्ते की अत्याधिक आवश्कता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जहां से होकर प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 736/495 तक पहुंच सकें।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम लापला पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खसरा नम्बर 736/495 तक पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 735/493, 734/493 में से क्रमशः 00.06, 00.06 बीघा का रास्ता मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शें में बंरग पीला से दर्शाये गये प्रस्तावित रास्ते के अनुसार कायम किया जाता है।

उक्त भूमि के खसरा नम्बर 735/493 का प्रतिकर डी.एल सी की दर प्रति बीघा 89745/– तथा खसरा नम्बर 734/493 का प्रतिकर डी.एल.सी. की दर प्रति बीघा 74806/– से दुगना देय होगा। तहसीलदार बायतु प्रार्थी को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि यानि 12 बिस्वा की राशि 98731/– तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा होने पर इस आदेश का भू अभिलेख में अंकन करे तथा प्रतिकर Compensation राशि 98731/– नियमानुसार विप्रार्थीगण को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 27.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 15:26:56 IST
Reason: SelfAttested